Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

लखवीर सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति मजबीसिख निवासी चक 49 जीबी ए तहसील श्रीकरणपुर आदि

बनाम

सुखासिंह पुत्र प्यारासिंह जाति बावरी निवासी 4 जेड डब्ल्यू एम तहसील घडसाना आदि

किस्म मुकदमाः–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.–26/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08.07.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट तिलक राज चुघ व पैरोकार राज हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसील घडसाना के चक 4 जैड डब्ल्यू एम का पत्थर न. 229/15 की 6.198 है0 कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता एवं अपीलांट संख्या 3 के पति छोटा सिंह के नाम दर्ज थी। छोटा सिंह की मृत्यु दिनांक 14.8.2006 को होने के उपरांत अपीलांट्स मृतक छोटासिंह के प्रथम श्रेणी के विधिक एवं जायज वारिसान है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा स्व0 छोटासिंह के नाम की उपरोक्त कृषि भूमि की तथाकथित वसीयत दिनांक 19.7.1997 अपने पक्ष में तैयार कर एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जिस पर सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र प्रशांत ज्योति में प्रकाशन करवाकर एवं गवाह के बयान लिये जाकर दिनांक 30.04.2008 को वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पटवारी हल्का के नाम आदेश जारी किये गये। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा प्रथमतः रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उक्त वसीयत दिनांक 19.7.1997 का गहन निरीक्षण कर आगामी आदेश पारित किया जावे तो उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को दरकिनार कर वसीयत के आधार पर इंतकाल संख्या 181 दिनांक 27.4.2009 रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया। छोटा सिंह द्वारा जैर अपील भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा से दिनांक 29.12.1997 को खरीद की गई थी जिसका बैयनामा के आधार पर इंतकाल संख्या 66 दिनांक 15.9.1998 को स्वीकृत किया हुआ। ऐसी स्थिति में वसीयत दिनांक 19.7.1997 को छोटासिंह द्वारा निष्पादित किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता। उक्त तथाकथित वसीयत षडयंत्र के तहत तैयार की गई है क्योंकि वसीयत का स्टाम्प घडसाना से खरीद किया गया है तथा तस्दीक रायसिंहनगर में की गई है। वसीयत में दर्ज भूमि की गणना हैक्टर में दर्शायी गई है। जबकि वर्ष 1997 में राजस्व विभाग के तहत हैक्टेयर पद्वति शुरू ही नहीं हुई थी। वर्ष 1997 में कृषि भूमि बीघों में दर्शायी जाती थी। ऐसी स्थिति में वसीयत की जांच किये बिना तथा मृतक के वारिसान को सुने बिना पारित किया गया आलौच्य आदेश निरस्त किया जावे। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित करते समय अपीलांटगण पक्षकार न बनाने के कारण अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट को दिनांक 12.02.2014 को पटवारी हल्का से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अपीलांट एक सदभावी काश्तकार हैं तथा अपीलांटस मृतक छोटा सिंह के विधिक वारिसान है एवं अपीलाधीन भूमि में अपीलांट्स का हित निहित है। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ का निर्णय दि. 30.04.2008 निरस्त किया जावे तथा उसके प्रकाश में रेस्पो0 संख्या 1 के नाम से दर्ज इंतकाल संख्या 181 दिनांक 27.4.2009 निरस्त किया जावे। पैरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वसीयत के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ही आदेश दिनांक 30.04.2008 पारित किया गया है तथा उक्त आदेश की पालना में इंतकाल संख्या 181 दिनांक 27.4.2009 दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे। सर्वप्रथम धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना हम उचित समझते है। पैरोकार राज ने प्रार्थना [illegible] तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक [illegible] हिर की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित [illegible] जिससे अपीलांट अपना पक्ष नहीं रख पाये है। अपीलांटस मृतक [illegible] सिंह के विधिक एवं जायज वारिसान है। अपीलांट्स का [illegible] निहित है। इसलिए अपीलांटगण को अपने हितों की रक्षा के लिए [illegible] दिया जाना आवश्यक था। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास कर प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांटगण को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:39:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

F:\Form no. 3.doc

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा जिसका रेस्पोडेंट ने ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की तथा ना ही कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण मे कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध इंतकाल संख्या 66 दिनांक 15.9.1998 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। जिससे पाया कि छोटा सिंह द्वारा जैर प्रकरण भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खानू पुत्र रिडमल जाति नायक से दिनांक 29.12.1997 को कय की गई थी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा छोटा सिंह द्वारा दिनांक 19.7.1997 को निष्पादित की गई वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2008 पारित किया है तथा उस आदेश के आधार पर इंतकाल संख्या 181 दिनांक 27.4.2009 दर्ज किया गया है। चूंकि जब छोटा सिंह द्वारा भूमि दिनांक 29.12.1997 को खरीद की गई थी तो दिनांक 19.7.1997 की गई वसीयत सन्देहास्प्रद प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सन्देहास्प्रद वसीयत के आधार पर आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय पारित किये जाने से पूर्व छोटा सिंह विधिक वारिसान को सुना जाना भी नही गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ का आदेश दिनांक 30.04.2008 व उसके आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में दर्ज इंतकाल संख्या 181 दिनांक 27.4.2009 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालया तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में पुनः दस्तावेजो का अवलोकन कर तथा मृतक छोटा सिंह के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

(अरविन्द्र कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:39:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner